उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-18/1/43/91-का-4-2014
लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या-499/का-प्रसको-1/43/91, दिनांक 22.08.1997 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अनुमन्य धुलाई भत्ता की धनराशि रू. 20.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 40.00 प्रतिमाह एवं वाहन चालक को अनुमन्य धुलाई भत्ता की धनराशि रू. 30.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 60.00 प्रतिमाह किए जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त आदेश दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी होंगे।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-19 में लेखाशीर्षक, ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेतर-003-प्रशिक्षण-07-प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-1326/दस-2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-1/43/91(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. नियुक्ति (लेखा) अनुभाग को 02 प्रतियों में।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र यादव
विशेष कार्याधिकारी

http://Snasanadesh.nic.in